

# छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

क्रमांक -252

प्रकरण क्रमांक -SM-EXP-2023-02118

आवेदक : छत्तीसगढ़ रेरा विरुद्ध "बालाजी नगर", प्रमोटर-बालाजी इन्फ्रा एस्टेट्स, द्वारा-  
श्री अंकुर सिंह ठाकुर, पता-छतौना, तखतपुर, जिला-बिलासपुर (छ.ग.)

प्रोजेक्ट-"बालाजी नगर" पता-ग्राम-छतौना, तखतपुर, जिला-जिला-बिलासपुर (छ.ग.)

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
14/02/2025	<p>- प्रकरण प्रस्तुत।</p> <p>- प्रकरण न्याय निर्णायक अधिकारी से उनके निष्पादन प्रकरण क्रमांक-EXE-SM-EXP-2023-02118 के आदेश पत्र की छायाप्रति सहित प्राप्त, अवलोकन किया गया।</p> <p>प्राधिकरण द्वारा अधिरोपित शास्ति की राशि 10,000/- को अनावेदक द्वारा दिनांक 26.11.2024 को जमा कर चालान की प्रति पेश करने के फलस्वरूप चालान की छायाप्रति सहित अग्रिम कार्यवाही हेतु प्राप्त हुआ है।</p> <p>अतएव प्रकरण में अधिरोपित शास्ति राशि 10,000/- जमा किया जा चुका है। प्रकरण में अन्य कोई कार्यवाही शेष नहीं होने के कारण प्रकरण समाप्त किया गया।</p> <p>प्रकरण नस्तीबद्ध किया जाकर अभिलेख कोष्ठ दाखिल किया जावे।</p> <p>सही / - (धनंजय देवांगन) सदस्य</p> <p>सही / - (संजय शुक्ला) अध्यक्ष</p>	